<u>राज्यपालीय (गवर्नर की) आपदा</u> <u>उद्घोषणा</u>

जबिक, मार्च 2020 की शुरुआत से ही, इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है, जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 1,880,000, से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 26,800 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबिक, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है; और,

जबिक, जैसे ही इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न लोक स्वास्थ्य आपदा का सामना करना जारी रखता है, जो कि एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है, जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, इससे संपूर्ण राज्य के निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम उत्तरदाताओं और सरकारों पर जो भारी दबाव पड़ता रहा है, वह अभूतपूर्व है; और,

जबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी, 2020 को COVID-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, और संयुक्त राज्य स्वास्थ्य एवं मानव सेवा सचिव ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा की थी कि COVID-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपात स्थिति प्रस्तुत करता है; और,

जबिक, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चित्रित किया, और अब पूरे विश्व में COVID-19 के 267 मिलियन से अधिक पुष्टिकृत मामलों एवं COVID-19 के कारण 5.2 मिलियन से अधिक मौतों की रिपोर्ट की गई है; और,

जबिक, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, वायरस वास्तव में तेजी से फैलता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संघीय और राज्य सरकारों को महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है; और,

जबिक, COVID-19 के टीके COVID-19 रोग, विशेष रूप से गंभीर बीमारी और मृत्यु, को रोकने में प्रभावी हैं, लेकिन आबादी का एक हिस्सा बिना टीकाकरण के है और कुछ निवासियों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, अभी तक वैक्सीन प्राप्त नहीं कर सके हैं; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबिक, 13 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम, 42 U.S.C. 5121-5207 के भाग 501 (b) स्टैफ़र अधिनियम ("Stafford Act") के अनुसरण में, इलिनॉय सिहत सभी राज्यों और क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए, राष्ट्रव्यापी आपदा घोषित किया था; और,

जबिक, 26 मार्च 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफ़र्ड अधिनियम (Stafford Act) के अनुभाग 401 के अनुसरण में इलिनॉय में बड़ी आपदा घोषित की; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के विस्फोटक(तीव्र) फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 30 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, अस्पताल के बिस्तरों, ER बिस्तरों, और वेंटिलेटरों की कमी होने के ख़तरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार प्रसार के कारण, और वायरस के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभावों के कारण, और परीक्षण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 26 जून, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के और अधिक प्रसार के कारण, स्वास्थ्य तथा आर्थिक जगत पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 24 जुलाई, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के ख़िलाफ़ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 21 अगस्त, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के ख़िलाफ़ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 18 सितंबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के ख़िलाफ़ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 16 अक्टूबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के पुनरुत्थान के फलस्वरूप, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के ख़िलाफ़ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 13 नवंबर, 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के बढ़ते प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 11 दिसंबर 2020 को, इलिनॉय में COVID-19 के जारी प्रसार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के लगातार होने वाले प्रभावों एवं परीक्षण क्षमता को लगातार बढ़ाने और रोग के खिलाफ हमारी प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता के उद्देश्य से, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया; और,

जबिक, 8 जनवरी 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 5 फरवरी 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और.

जबिक, 5 मार्च 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 2 अप्रैल 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 30 अप्रैल 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर वायरस के प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और.

जबिक, 28 मई 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 25 जून 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 23 जुलाई 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, 20 अगस्त, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के अतिरिक्त जोखिम और नुकसान शामिल हैं, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, सितंबर 17, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के अतिरिक्त जोखिम और नुकसान शामिल हैं, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, अक्टूबर 15, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के अतिरिक्त जोखिम और नुकसान शामिल हैं, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

जबिक, अगस्त 12, 2021 को, इलिनॉय में COVID-19 के लगातार जारी प्रसार और स्वास्थ्य तथा आर्थिक स्थिति पर लगातार हो रहे वायरस के होने वाले प्रभावों के कारण, कोरोनावायरस के डेल्टा संस्करण के अतिरिक्त जोखिम और नुकसान शामिल हैं, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया: और.

जबकि, जैसे COVID-19 से संबंधित परिस्थितियां तेज़ी से विकसित होती हैं और नए साक्ष्य प्रकट होते हैं, लोक स्वास्थ्य जानकारी एवं मार्गदर्शन में बारंबार बदलाव किए गए हैं; और,

जबिक COVID-19 की अभूतपूर्व प्रकृति, जिसमें न केवल श्वसन तंत्र बल्कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दों, और शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर पड़ने वाले इसके स्वास्थ्य परिणाम शामिल हैं, ने इस वायरस के प्रभावों और इसके प्रसार के मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन बना दिया है; और,

जबिक, डेल्टा संस्करण पहले परिसंचारी उपभेदों (स्ट्रेन) की तुलना में अधिक आक्रामक और अधिक संक्रामक है, और वायरस के प्रसार को रोकने और धीमा करने के लिए चल रहे प्रयासों में नए जोखिम पैदा करता है: और.

जबिक, डेल्टा संस्करण वायरस के पिछले उपभेदों (स्ट्रेन) की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है;

जबिक, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) का अनुमान है कि डेल्टा संस्करण अब यू.एस. में लगभग सभी अनुक्रमित (सीक्वेंसड) कोरोनावायरस के लिए जिम्मेदार है; और,

जबिक, ऑमिक्रॉन संस्करण को चिंता के संस्करण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसने लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को COVID-19 को कम करने और सावधानियों के महत्त्व पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है; और,

जबकि, सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर करना, और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सावधानियां COVID-19 के प्रसार को धीमा करने एवं रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं; और,

जबिक, रोग नियंत्रण और निवारण केंद्र ("CDC") ने पूर्ण रूप से टीका लगा चुके लोगों के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें इस बात का संकेत दिया गया कि वे बाहर खुले में मास्क पहने बिना या 6 फीट की दूरी बनाए बिना विभिन्न गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, जबिक पर्याप्त या उच्च संक्रमण वाले क्षेत्रों में सार्वजिनक रूप से मास्क पहनने की सिफारिश की जाती है, साथ ही जहां संघीय, राज्य, स्थानीय, आदिवासी, या क्षेत्रीय कानूनों, स्थानीय व्यापार और कार्यस्थल मार्गदर्शन सहित नियमों और विनियमों द्वारा आवश्यक हो; और,

जबिक, CDC यह सलाह देता रहता है कि कपड़े से फेस कवरिंग या मास्क उन लोगों की रक्षा करते हैं, जिनका COVID-19 से पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ है; और,

जबिक, CDC सलाह देता है कि K-12 स्कूलों में COVID-19 की रोकथाम के लिए स्कूलों को चाहिए कि CDC के मार्गदर्शन का पालन करें, जो अपने क्षेत्र में आवश्यक स्तर के अनुसार रोकथाम रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए सार्वभौमिक मास्किंग और स्थानीय लोक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करने की सिफारिश करता है; और,

जबिक, CDC यह सलाह देता रहता है कि डे केयर प्रदाताओं को डे केयर प्रदाताओं और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाने के बाद भी, मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाए रखने सहित, COVID-19 रोकथाम रणनीतियों का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए; और

जबिक, वायरस से संक्रमित हुए कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं पर फिर भी वे इसे दूसरों तक फैला सकते हैं; और,

जबिक, लोक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि उन लोगों के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क हो, जिनका पूरा टीकाकरण नहीं हुआ है और जो एक ही घर में नहीं रहते हैं, यह COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है; और,

जबिक, राज्यपालीय (गवर्नर की) आपदा उद्घोषणाओं के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबिक, जिस समय मैंने प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा निर्गत किया, तब इलिनॉय की एक काउंटी में COVID-19 के 11 पुष्टीकृत मामले थे; और,

जबिक, आज तक, इलिनॉय की सभी 102 काउंटियों में COVID-19 के पुष्टीकृत मामलों की संख्या 1,880,000 से अधिक है; और,

जबिक, इलिनॉय में COVID-19 से होने वाली पहली मृत्यु की घोषणा 17 मार्च, 2020 को की गई थी; और,

¹ लोगों को 2 खुराक वाली श्रृंखला, जैसे फ़ाइज़र या मॉडर्ना टीके के मामले में अपनी दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद, या एक खुराक वाली वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का जानसीन वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते बाद, पूरी तरह से टीका लगा हुआ माना जाता है। उन लोगों को पूरी तरह टीका लगा हुआ नहीं माना जाता है, जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो।

जबकि, आज तक, COVID-19 के कारण इलिनॉय के 26,800 से भी अधिक निवासियों की मृत्यु हो चुकी है; और,

जबिक, शुरू से ही, अध्ययन से पता चला है कि हर पुष्ट मामले के साथ और कई अज्ञात मामले होते हैं, जिनमें से कुछ लक्षण रहित (अस्यम्प्तोमाटिक) व्यक्ति होते हैं, जो अनजाने में ही दूसरों तक वायरस का संक्रमण फैला सकते हैं; और,

जबिक, इलिनॉय में COVID-19 के नए मामलों की संख्या में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है, और वायरस लगातार बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बहुत से इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

जबकि, COVID-19 वैश्विक महामारी सबसे अधिक आबादी वाली काउंटियों तक ही सीमित नहीं है, और राज्य के सभी क्षेत्रों को घातक COVID-19 जोखिम का सामना करना पड़ रहा है; और,

जबकि, यहां तक कि कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी, बिना सावधानियों के COVID-19 तेजी से फैल सकता है; और,

जबिक, संयुक्त राज्यों ने कुल 50 मिलियन मामलों और लगभग 790,000 मौतों से अधिक के आंकड़े को पार कर लिया है: और.

जबिक, COVID-19 ने अनुपातहीन रूप से ऊँची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक निवासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करना जारी रखा है – जिससे स्वास्थ्य संबंधी विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

जबिक, इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संसाधनों के इस्तेमाल एवं क्षमता की आवश्यकता में अचानक बड़ी मांग से बचने के लिए अस्पतालों, स्थानीय स्वास्थ्य विभागों, और आपातकालीन प्रबंधन प्रणालियों के आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में तालमेल बैठाने के लिए अपनी इलिनॉय आपातकालीन संचालन योजना और आपातकालीन सहयोग कार्य 8 योजना को सिक्रय कर दिया था; और,

जबिक, जैसे-जैसे वाइरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक क्रमित विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, तािक अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों द्वारा इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

जबिक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मी, अस्पताल एवं अन्य इकाइयां इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति में समर्थ हो सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के पास अत्यावश्यक आपूर्तियों, जिनमें पीपीई (PPE) सहित मास्क, फ़ेस शील्ड, गाउन, एवं दस्ताने शामिल हैं, का होना आवश्यक है; और,

जबिक, इलिनॉय राज्य भंडार बनाकर रखता है, जो मौजूदा पीपीई आपूर्ति शृंखलाओं और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के स्टॉक को सहयोग देता है; और,

जबिक, राज्य पीपीई की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखे हुए है, यदि वे खरीद के प्रयास बाधित हो जाते हैं या इलिनॉय में COVID-19 मामलों में वृद्धि होती है, तो राज्य को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और पहले उत्तरदाताओं के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की प्राणघातक कमी का सामना करना पड़ सकता है; और,

जबिक, इिलनॉय अस्पताल के बिस्तरों और ICU बिस्तरों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करना जारी रखे हुए है; और, यदि COVID-19 के मामले बढ़ते हैं, तो राज्य को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है; और,

जबिक, देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जहां डेल्टा संस्करण के परिणामस्वरूप कुछ ही, यदि कोई हों, ICU बेड उपलब्ध हैं, और डेल्टा संस्करण के कारण इलिनॉय के कई हिस्सों में उपलब्ध ICU बेड की संख्या कम हो रही है; और, जबिक, अब तक इलिनॉय COVID-19 के कुल 40 मिलियन से भी अधिक नमूनों का परीक्षण कर चुका है; और,

जबिक, 26,800 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की दुखद मृत्यु का कारण बनने एवं दस हजार से भी ज्यादा निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को ख़राब करने के आलावा, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को ख़तरे में डाल रहा है; और,

जबिक, पूरे राष्ट्र में, वैश्विक महामारी के आरंभ से अब तक 80 मिलियन से अधिक लोग बेरोज़गारी के दावे दायर कर चुके हैं; और,

जबिक, इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग इस आर्थिक संकट का कई प्रकार से सामना कर रहा है, जिसमें महामारी बेरोज़गारी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

जबकि, वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग इस आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए कार्य कर रहा है, जिसमें COVID-19 संबंधी रुकावटों के कारण कार्य करने की अत्यंत सीमित क्षमता का अनुभव करने वाले व्यवसायों के लिए व्यावसायिक रुकावट अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से सहायता देना शामिल है; और,

जबिक, राज्य की कई कार्यकारी एजेंसियां COVID-19 महामारी के लिए जारी प्रतिक्रिया पर महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं; और,

जबिक, कई राज्य एजेंसियों की आने वाले महीनों में अमरीकी बचाव योजना और कोरोनावायरस राज्य और स्थानीय वित्तीय वसूली निधि को प्रबंधित करने में भूमिका होगी; और,

जबिक, COVID-19 वैश्विक-महामारी के कारण इलिनॉय कृषि विभाग (IDOA) के लिए मांस व पोल्ट्री इकाइयों और पशुधन प्रबंधन इकाइयों के नियमन एवं पर्यवेक्षण के माध्यम से राज्य की खाद्यापूर्ति शृंखला पर प्रकोप के प्रभाव को संभालना आवश्यक हो गया है; और

जबिक, COVID-19 वैश्विक-महामारी के चलते पशुधन बाज़ार में आए व्यवधान के कारण IDOA के लिए मृत पशु निपटान अधिनियम के अपने पर्यवेक्षण एवं नियमन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्यावरणीय पशु निपटान चिंताओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को पशुधन स्वामियों एवं उत्पादकों के साथ कार्य करने पर केंद्रित करना आवश्यक हो गया है; और

जबिक, IDOA ऐसे कई अन्य उद्योगों का नियमन एवं उनकी जांच-पड़ताल करता है, जो COVID-19 वैश्विक-महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिनमें पीड़कनाशी (पेस्टिसाइड) लगाने वाले, पशु आश्रय, पालतू पशुओं की दुकानें, और गैस स्टेशन शामिल हैं, पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और इन उद्योगों के सतत व उचित नियमन हेतु IDOA के लिए यह आवश्यक है कि वह दूरस्थ जांच-पड़ताल एवं प्रशिक्षण संचालित करने की नई कार्यविधियों की रचना करने में अतिरिक्त समय व संसाधन लगाए; और

जबिक, IDOA द्वारा विनियमित उद्योगों पर COVID-19 वैश्विक-महामारी के हानिकारक प्रभाव के कारण IDOA के लिए व्यवसाय व्यवधान अनुदान कार्यक्रम के समयबद्ध कार्यान्वयन के आयोजन और प्रबंधन में अतिरिक्त समय एवं संसाधनों का निवेश आवश्यक हो गया है; और

जबिक, COVID-19 के कारण हुई आर्थिक हानि एवं असुरक्षा ने व्यवसायों की व्यवहार्यता को और आवास, चिकित्सीय देखभाल, भोजन, एवं निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण संसाधनों की सुलभता को ख़तरे में डाला है; और,

जबिक, COVID-19 स्कूलों के लिए भी असाधारण रूप से बाधाकारी रहा है, इसलिए राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक यह है कि नए स्कूल वर्ष में यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र गुणवत्ता-पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हों तथा स्कूल छात्रों, शिक्षकों एवं समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में सक्षम हों; और,

जबिक, पूर्ववर्ती तथ्यों के आधार पर, और COVID-19 के अपेक्षित निरंतर प्रसार को, तथा संपूर्ण राज्य के लोग आगामी महीनों में जिस प्रकार की जारी स्वास्थ्य एवं आर्थिक दुष्प्रभावों का अनुभव करेंगे, उन पर विचार करते हुए, इलिनॉय में COVID-19 से संबंधित जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वे इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के अनुभाग 4 के अंतर्गत महामारी आपातकाल एवं लोक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनती हैं; और,

जबिक, पूर्ववर्ती के आधार पर, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बना हुआ बोझ, संक्रमणों की संख्या में उछाल आने की स्थिति में राज्य द्वारा इन संसाधनों की संभावित कमी का सामना करने की जारी संभावना, और पीपीई की खरीद एवं वितरण बढ़ाने के साथ-साथ COVID-19 की परीक्षण क्षमता बढ़ाने की अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के अनुभाग 4 के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का कारण बनाते हैं; और,

जबिक, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहा जाए और, अतः राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व उपयुक्त है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन लोगों की सेवा करने में सक्षम है, जो बीमार हैं और यह कि इलिनॉय वासी सुरिक्षत एवं महफूज़ रहें; और चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सक्षम रहें, और,

जबिक, इस उद्घोषणा से राज्य ऐसे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक स्थिति को बहाल करने में मदद कर पाएगा, जिन्हें COVID-19 के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसके द्वारा आगे होने वाले विनाशकारी परिणामों से बचा जा सकेगा; और,

जबिक, यह उद्घोषणा वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल पर राज्य की प्रतिक्रियाओं और स्थानीय सरकारों की प्रतिक्रियाओं को सहयोग देने के प्रयास के दौरान राज्य एवं संघीय संसाधनों, जिनमें COVID-19 का परीक्षण करने हेतु आवश्यक सामग्री, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, एवं दवाएं शामिल हैं, में तालमेल बैठाने में इलिनॉय के एजेंसियों की सहायता करेगी: और.

जबिक, यह उद्घोषणा इलिनॉय एजेंसियों को राज्य और संघीय वसूली निधियों के समन्वय में सहायता करेगी; और.

जबिक, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के अनुभाग 7 के अंतर्गत नई आपदा की उद्घोषणा जारी करने का क़ानूनी औचित्य प्रदान करती हैं; और,

जबिक, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V, अनुभाग 8 में, यह प्रदान करता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहा गया है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

अब, अतः, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम के 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूँ कि इलिनॉय राज्य के भीतर एक आपदा विद्यमान है और विशेष रूप से इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूँ। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं, पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल हेतु योजना बनाने और उस पर प्रतिक्रिया देने के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ तालमेल रखें।

अनुभाग 3. इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल के संबंध में लोक स्वास्थ्य की रक्षा की रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य की एजेंसियों एवं स्थानीय प्राधिकरणों, जिनमें स्थानीय सार्वजिनक स्वास्थ्य प्राधिकरण शामिल हैं, के साथ सहयोग करे।

- अनुभाग 4. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यक्रमों में स्थानीय सरकारों की सहायता हेतु राज्य के संसाधनों का समन्वयन करने के लिए राज्य आपातकालीन कार्यान्वयन योजना कार्यान्वित करे।
- अनुभाग 5. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता पहुँचाने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थिगत किए जाते हैं, जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। यदि आवश्यक हो तो, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थिगत करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है।
- अनुभाग 6. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके एजेंसियों) या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।
- अनुभाग 7. इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग, इलिनॉय बीमा विभाग, और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार सेवाएं विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि वे COVID-19 और उसके परीक्षण के लिए विस्तारित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उपभोक्ताओं को COVID-19 की जांच करने और उपचार सेवाएं पाने में वित्तीय बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए आवश्यक कार्रवाइयों की अनुंशसा करें।
- अनुभाग 8. इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल से जुड़े अध्ययन के किसी भी दुष्प्रभाव को दूर करने पर ध्यान देने के लिए, और इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान दूरस्थ-शिक्षण, जो इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड), 105 ILCS 5/1-1 एवं अनुवर्ती, में विद्यमान है, के उपयोग में जो भी बाधाएँ हों उन्हें हटाने के लिए, आवश्यक कार्रवाइयों की अनुशंसा करें, और, उपयुक्ततानुसार, वे कार्रवाइयाँ करें।
- अनुभाग 9. राज्य के सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान लोक स्वास्थ्य आपातकाल के आर्थिक प्रभाव का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य एजेंसियों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।
- अनुभाग 10. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(14) के अनुभाग 7(14) के अनुसरण में, इलिनॉय राज्य में वस्तुओं या सेवाओं, जिनमें चिकित्सीय आपूर्तियां, सुरक्षा उपकरण, दवाएं और वे अन्य उपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं, जो COVID-19 की रोकथाम या उपचार और उससे उबरने/स्वास्थ्य लाभ करने के लिए अभीष्ट हैं, के विक्रय मूल्य में इस उद्घोषणा के प्रभावी रहने के दौरान वृद्धि करना वर्जित होगा।
- अनुभाग 11. यह उद्घोषणा संघीय आपातकालीन और/या आपदा सहायता के अनुरोधों को स्वीकारना सुगम बना सकती है, बशर्ते क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 12. यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जिसे साक्षी मानकर, मैंने इस दस्तावेज़ पर मेरे हस्ताक्षर किए हैं और इलिनॉय राज्य की महान मोहर लगवाई है।

> हमारे परमेश्वर के दो हज़ार इक्कीसवें वर्ष और इलिनॉय राज्य के दो सौ तीसरे वर्ष में, 10वीं दिसम्बर को स्प्रिंगफ़ील्ड शहर में विधायिका व कार्यपालिका भवन कैपिटोल Capitol में कृत।

राज्य के सचिव

गवर्नर